>

Title: Need to provide option of learning in mother tongue/regional language to students in Kendriya Vidyalayas.

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): पूरे देश में हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में पढ़ना आवश्यक है तथा राज्यों में हिन्दी के साथ-साथ एक अन्य क्षेत्रीय भाषा विकल्प के रूप में छात्र की रूचि अनुसार पढ़ने का प्रावधान भी है। परन्तु केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक 3 भाषा हिन्दी, अंग्रेजी एवं संस्कृत तथा क्षा 9 से 11 तक केवल 2 भाषा हिन्दी एवं अंग्रेजी पढ़ाने का प्रावधान है।

भारत के संविधान में उल्लिखित अन्य भाषाएं जैसे पंजाबी, तमिल, कन्नड़, तेलुगू, बांगला, उर्दू, गुजराती, मराठी आदि के संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन वैकल्पिक भाषा चयन करने का अधिकार छात्रों को नहीं देता है।

इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार राज्यों में सर्वशिक्षा अभियान के तहत शिक्षा विभाग ने राष्ट्रभाषा हिन्दी के अतिरिक्त 1 अन्य क्षेत्रीय भाषा को वैकल्पिक रूप से छात्र द्वारा लेने का विकल्प खुला रखा है, उसी प्रकार केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा भी कक्षा 1 से 8 तक जो 3 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, उनमें से एक भाषा का विकल्प छात्र के विवेक पर चयन करने का रखा जाये क्योंकि क्षेत्रीय भाषा उस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत होती है तथा छात्र अपनी क्षेत्रीय भाषा में प्रायः अपने घर परिवार व समाज में बातें करता है तथा पीढ़ियों से चली आ रही विरासत से अवगत होता है। यदि केन्द्रीय विद्यालय संगठन कक्षा 8 तक भाषा के विकल्प में क्षेत्रीय भाषा को छात्र की रूचि अनुसार चयन का अधिकार देगा तो निश्चित ही हमारी पीढ़ियों की विरासत भी आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सकेगी।